न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 96/16 **निर्णय दिनांकः—27.08.2018**

1. सोमदत्त पुत्र श्री भगवानाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 4 केपीडी हाल चक 11 एलकेडी तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार छत्तरगढ़।
2. श्रीमती कान्ता पत्नि मालाराम जाति जाट निवासी खारियाबास वाया सांखू तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
3. रामनिवास पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी खारियाबास वाया सांखू तहसील राजगढ़ जिला चूरू।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 26—08—2016
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितिः—

1. श्री दाऊलाल हर्ष, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री भगवानाराम गोदारा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 26—08—2016 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट की भूमि को निरस्त किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति/पिता मालाराम पुत्र पोकरराम को चक 9 एलकेडी हाल चक 11 एलकेडी के मुरब्बा नम्बर 161/16 के किला नम्बर 11, 16 ता 25 में 11 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। मालाराम के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त भूमि मालाराम के वारिसान के नाम इंतकाल संख्या 164 दिनांक 05–05–2005 को दर्ज किया गया। स्व. मालाराम ने अपने जीवनकाल में उपरोक्त भूमि जरिये इकरारनामा अपीलांट को विक्रय कर दी गई थी व मालाराम के स्वर्गवास के उपरान्त इनके वारिसान ने पुनः इकरारनामा अपीलांट के पक्ष में कर दिया गया। जब से वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये उक्त आवंटन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उक्त भूमि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार नहर में अवाप्त हो चुकी हैं अतः वादगत् भूमि चक 9 एलकेडी हाल चक 11 एलकेडी के मुरब्बा नम्बर 161/16 के किला नम्बर 11, 16 ता 25 में 11 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का अपीलांट को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व मौके व रिकार्ड की कोई जॉच किये बिना व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया है। जबकि वादगत् भूमि पर अपीलांट का निरन्तर आज दिनांक तक कब्जा काश्त चला आ रहा है।

अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत है। तहसील पटवारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में भी अपीलांट्स की भूमि होना अंकित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए एकतरफा तौर पर

अपीलांट के आवंटन को खारिज किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट्स को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर निरस्त किया गया आवंटन आदेश हर प्रकार से निरस्त योग्य है।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पति/पिता को किया गया था। उक्त आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पति/पिता द्वारा जरिये ईकरारनामा वादगत् भूमि का बेचान अपीलांट को किया गया था। चूंकि उक्त भूमि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से खारिज की जा चुकी थी। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा अपीलांट को उक्त भूमि की एवज में अन्य भूमि का बेचान किया जा चुका है। लिहाजा अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि जरिये ईकरारनामा बेचान की गई थी अतः वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट के हक में बहाल किया जावे स्वीकार योग्य कथन नहीं है। चूंकि उक्त भूमि रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार नर्सरी में अवाप्त हो चुकी है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि किसी भी स्थिति में अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती है। अदालत मातहत द्वारा उक्त भूमि आवंटन की एवज में अन्यत्र भूमि चक 21 बीडी 'बी' के मुरब्बा नम्बर 75/57 के किला नम्बर 1 ता 12 में 9.16 बीघा भूमि आवंटित की जा चुकी है। अतः अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पति/पिता स्व. मालाराम पुत्र पोकरराम को चक 9 एलकेडी के मुरब्बा नम्बर 161/16 के किला नम्बर 11, 16 ता 25 में 11 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड का आवंटन किया गया। जिसके हाल चक 11 एलकेडी के मुरब्बा नम्बर 161/16 पैमूद हुए है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि का बेचान जरिये ईकरारनामा स्व. मालाराम पुत्र पोकरराम द्वारा अपने जीवनकाल में कर दिया गया था तथा मालाराम के स्वर्गवास के पश्चात् उसके जायज वारिसान अर्थात पत्नी व पुत्र द्वारा भी जरिये ईकरारनामा वादगत् भूमि का बेचान अपीलांट को किया जा चुका है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये किये बिना ही मालाराम पुत्र पोकरराम को वादगत् भूमि के किये गये आवंटन को निरस्त किया गया है। अदालत मातहत का उक्त कृत्य प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

(3) इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में यह तो निर्विवाद है कि वादगत् भूमि चक 9 एलकेडी के मुरब्बा नम्बर 161/16 के किला नम्बर 11, 16 ता 25 में 11 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड जिसके हाल चक 11 एलकेडी के मुरब्बा नम्बर 161/16 पैमूद हुए का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पति/पिता को किया गया था तथा उक्त भूमि का बेचान जरिये ईकरारनामा प्रथमतः स्व. मालाराम व तदुपरान्त स्व. मालाराम के जायज वारिसान अर्थात स्व. मालाराम की पत्नि व पुत्र द्वारा अपीलांट के पक्ष में किया गया है।

(4) अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पति/पिता को चक 9 एलकेडी के मुरब्बा नम्बर 161/16 के किला नम्बर 11, 16 ता 25 में 11 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड जिसके हाल चक 11 एलकेडी के मुरब्बा नम्बर 161/16 पैमूद हुए के किये गये आवंटन को इस आधार पर खारिज किया गया है कि चूंकि उक्त भूमि तहसीलदार राजस्व खाजुवाला के पत्रांक 387 दिनांक 10—08—2016 में सैल रजिस्टर के अनुसार उक्त भूमि नर्सरी में अवाप्त हो चुकी है। अतः उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर उक्त भूमि आवंटन की एवज में चक 21 बीडी 'बी' के मुरब्बा नम्बर 85/57 के किला नम्बर 1 ता 12 की 9.16 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया है।

(5) प्रकरण में जब रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पति/पिता को पूर्व में आवंटित भूमि की एवज में अन्यत्र भूमि आवंटित की जा चुकी है। ऐसी

स्थिति में यदि अपीलांट उक्त भूमि प्राप्त करना चाहते है तो पूर्ववर्ती तरीके अर्थात जरिये ईकरारनामा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 से प्राप्त की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत मामला पूर्णतया पक्षकारों के मध्य का है। इस संबंध में न्यायालय अपीलांट अथवा पक्षकारों की किसी प्रकार की कोई मदद नहीं सकता है।

प्रकरण में जहॉ तक पक्षकरों के मध्य ईकरारनामें का प्रश्न है इस संबंध में सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं होकर सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अपीलांट उक्त ईकरारनामें के आधार पर सिविल न्यायालय में चाराजोई करने हेतु स्वतन्त्र है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार व विधि सम्मत तरीके से पूर्व में आवंटित भूमि नहर में अवाप्त होने की दशा में अन्यत्र भूमि अर्थात चक 21 बीडी के मुरब्बा नम्बर 75/57 के किला नम्बर 1 ता 12 की 9.16 बीघा कमाण्ड भूमि प्रदान की जा चुकी है। लिहाजा अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–08–2016 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 27.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर